समझौता ज्ञापन

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज, संजौली/

उत्कृष्ट केंद्र राजकीय महाविद्यालय

NAAC A^{+}

शिमला-171 006, हिमाचल प्रदेश (भारत)

तथा

हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला

Himalayan Forest Research Institute, Shimla

भा.वा.अ.शि.प. – हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान

पंथाघाटी, शिमला – 171 013, हिमाचल प्रदेश

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज/ उत्कृष्टता केंद्र राजकीय महाविद्यालय, संजौली, संजौली, शिमला-171 006, हिमाचल प्रदेश तथा भा.वा.अ.शि.प. - हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, कॉनिफ़र परिसर, पंथाघाटी, शिमला-171 013, हिमाचल प्रदेश के मध्य समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन (इसके बाद इसे "एम.ओ.यू. कहा जाएगा) निम्नलिखित द्वारा और इनके बीच दर्ज किया गया है:

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज/ उत्कृष्टता केंद्र राजकीय महाविद्यालय, संजौली, शिमला उत्तरी भारत में एक प्रमुख बहु-विषयक, मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त ए+ शैक्षणिक संस्थान है, जो प्रधानाचार्य के माध्यम से जीव-विज्ञान, मानविकी, सामाजिक और भौतिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षण, कौशल विकास इत्यादि से संबन्धित कार्यों का संचालन करता है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज, संजौली, शिमला (इसके बाद इसे "सी.ओ.ई. जी.सी., संजौली" कहा जाएगा, जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसमें इसके उत्तराधिकारी, प्रशासक या अनुमत नियुक्तियां शामिल होंगी) पहला भाग

तथा

भा.वा.अ.शि.प. - हिमालय वन अनुसंधान संस्थान (एच.एफ.आर.आई.), शिमला, *भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद* (*आई.सी.एफ.आर.ई.*) - जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अतंर्गत वानिकी अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार गतिविधियों के संचालन हेतु एक प्रमुख संस्था है - का नौ क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थानों में से एक है प्रमुख संस्थान है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में वानिकी अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार गतिविधियों का संचलान करता है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान उत्तरी भारत में प्रमुख बहु-विषयक वानिकी अनुसंधान संस्थान है जो निदेशक के माध्यम से जीव-विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, विकास तथा कौशल विकास में लगा हुआ है, जिसका कार्यालय हिमाचल प्रदेश के शिमला में है (इसके बाद इसे "एच.एफ.आर.आई." कहा जाएगा) अभिव्यक्ति, जब तक कि संदर्भ या उसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसमें दूसरे भाग के उसके उत्तराधिकारी, प्रशासक या अनुमत नियुक्तियां शामिल होंगी

"सी.ओ.ई. जी.सी. संजौली" और "एच.एफ.आर.आई." को इसके बाद व्यक्तिगत रूप से "पार्टी" और सामूहिक रूप से "पार्टियां" के रूप में जाना जाएगा।

1. समझौते का उद्देश्य और दायरा

- इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को आगे बढ़ाने और उच्च कुशल मानव संसाधन की एक नई पीढ़ी के निर्माण के लिए प्रस्तावित सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है; भारतीय हिमालय क्षेत्र (आईएचआर) के पर्यावरण, जैव संसाधन, कौशल विकास, आजीविका के अवसर, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और कल्याण जीवन शैली डोमेन पर मुख्य ध्यान देने के साथ रोजगार और आर्थिक विकास के लिए पूरी तरह से नए अवसर प्रदान करना है ।
- दोनों संस्थानों के बीच अनुभव और वैज्ञानिक ज्ञान का आदान-प्रदान उनकी पारस्परिक प्रगति के साथ-साथ समाज की सेवा के लिए भी बहुत उपयोगी होगा।
- इस प्रकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, कुशल मानव संसाधन, इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी और वाणिज्य के क्षेत्र में प्रत्येक पक्ष की दक्षता को समझते हुए, सी.ओ.ई. जी.सी., संजौली और एच.एफ.आर.आई. ने क्रियात्मक और प्रशानिक देरी को कम से कम संभव समय के भीतर उत्साहपूर्वक उक्त लक्ष्यों को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने और संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति व्यक्त की है।

2. प्रस्तावना

राष्ट्रीय अनुसंधान संगठनोंयोप्र/योजना गशालाओं को विश्वविद्यालयों के साथ घनिष्ठ रूप से जोड़ने की आवश्यकता को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहित विभिन्न वैज्ञानिक मंत्रालयों, विभागों और अन्य एजन्सियों द्वारा मान्यता दी गई है। इस महसूस की गई आवश्यकता के अनुपालन में, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज, संजौली, शिमला ने निम्नलिखित नियम और शर्तों के अनुसार एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने का निर्णय लिया गया ।

2.1 स्टार्ट-अप गतिविधियाँ

2.1.1 दोनों पक्ष संबंधित क्षेत्रों में जल्द से जल्द संयुक्त अनुसंधान एवं विकास पहल शुरू करने पर सहमत हैं।

2.1.2 दोनों पक्ष एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करने के बाद राज्य, भारत सरकार की विभिन्न फंडिंग एजेंसियों, डी.एस.टी., डी.बी.टी., आई.सी.एम.आर. आदि और अन्य एजेंसियों के लिए पारस्परिक रूप से सहमत विषयों की संयुक्त अनुसंधान परियोजनाए तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए सहमत हैं।

2.1.2 हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए दोनों पक्षों के विभिन्न प्रभागों के साथ तालमेल से काम करने पर सहमत हैं।

2.2 **प्रत्याशित दीर्घकालिक गतिविधियाँ**

2.2.1 काम करने के लिए अत्यधिक कुशल मानव संसाधन, जनशक्ति तैयार करना तथा समाज और विशेष रूप से आई.एच.आर. के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता।

2.2.2 आई.एच.आर. और समाज के लाभ के लिए विश्व स्तरीय प्रतिभा और प्रौद्योगिकी को आकर्षित करना।

2.2.3 स्थानीय मानव संसाधन, ग्रामीण लोगों को प्रशिक्षित करना, राज्य के जैव संसाधनों का उपयोग करना, और स्थानीय शैक्षणिक और अन्य प्रतिभाओं के साथ तालमेल बिठाना और क्षेत्र में उद्यमशीलता की भावना को विकसित करना।

2.2.4 दोनों संस्थानों के हितों को ध्यान में रखते हुए और दोनों संगठनों को नियंत्रित करने वाले निर्धारित नियमों के भीतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को गति देने के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संबंधित महत्वपूर्ण अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं को साझा करना।

3. **सामान्य**

3.1 एच.एफ.आर.आई. के वैज्ञानिक तथा उत्कृष्टता केंद्र राजकीय महाविद्यालय, संजौली के संकाय सदस्य/छात्र एक-दूसरे के पास उपलब्ध सुविधाओं का प्रयोग करते हुए संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं का संचालन करेंगे ।

3.2 जीव-विज्ञान, भौतिक विज्ञान और उत्कृष्टता केंद्र राजकीय महाविद्यालय, संजौली के अन्य विभागों के संकाय और छात्रों को एच.एफ.आर.आई. के नियमों और शर्तों के अतंर्गत पुस्तकालय, कंप्यूटर और इंटरनेट सुविधाओं के उपयोग की अनुमति दी जाएगी।

3.3 जैसा कि ऊपर (पैरा 3.1) में दिया गया है, संकाय और छात्रों को संबंधित संकायों के प्रभागों के प्रमुखों और उत्कृष्टता केंद्र, राजकीय महाविद्यालय, संजौली के प्राचार्य के माध्यम से व्यक्तिगत अनुरोध पर पहचान पत्र जारी किए जाएगे, जिन्हें संस्थान के अधिकारियों को दिखाया जाएगा। एच.एफ.आर.आई. के नियमों तथा उपलब्धता के आधार पर संस्थान की प्रयोगशालाओं और अन्य सुविधाए प्रदान की जाएगी।

4. **शैक्षणिक और विकासात्मक कार्यक्रम**

4.1 दोनों संस्थानों, यानी एच.एफ.आर.आई. तथा उत्कृष्टता केंद्र राजकीय महाविद्यालय, संजौली के पारस्परिक लाभ के लिए, एच.एफ.आर.आई. के वैज्ञानिकों और जीव-विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, विभागों तथा महाविद्यालय के अन्य संबंधित विभागों के संकाय सदस्यों का आदान-प्रदान किया जा सकता है ।

4.2 सीओई जीसी, संजौली के संकाय (जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान) पारस्परिक हित की अनुसंधान परियोजनाओं में सह-प्रधान अन्वेषक तथा पी.एच.डी. विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में सह-पर्यवेक्षक के रूप में काम कर सकते हैं।

4.2 एच.एफ.आर.आई. तथा उत्कृष्ट केंद्र राजकीय महाविद्यालय, संजौली के संकाय सदस्य संस्थान के प्रमुखों को सूचित करते हुए सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं जैसे अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करने में एक-दूसरे के साथ सहयोग करेंगे।

4.3 उत्कृष्ट केंद्र राजकीय महाविद्यालय, संजौली के संकाय/छात्रों को अनुसंधान विषय की प्रकृति और प्रयोगशाला स्थान/सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर और एच.एफ.आर.आई. संकाय की देखरेख में अनुसंधान कार्य का एक हिस्सा बनने तथा एच.एफ.आर.आई. में हर्बेरियम से परामर्श करने की अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, लागत-गहन प्रयोगशाला कार्य प्रयोगों पर निदेशक, एच.एफ.आर.आई. और प्रधानाचार्य, उत्कृष्ट केंद्र राजकीय महाविद्यालय, संजौली द्वारा मामला- दर-मामला के आधार पर विचार किया जाएगा।

4.4 एच.एफ.आर.आई. तथा उत्कृष्ट केंद्र राजकीय महाविद्यालय, संजौली संगोष्ठियों, अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों आदि के आयोजन के माध्यम से व्यक्तिगत/पारस्परिक क्षमता के क्षेत्रों में उचित रूप से प्रशिक्षित जनशक्ति उत्पन्न करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

4.5 दोनों पक्षों के हित तथा दक्षता को ध्यान में रखते हुए, संयुक्त प्रायोजित और परामर्श परियोजनाएं दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों लक्ष्यों के साथ शुरू की जा सकती हैं।

4.6 यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक परियोजना के लिए नैतिक मंजूरी संबंधित संस्थान के सक्षम अधिकारी/आचार समितियों से प्राप्त की जानी चाहिए।

5. **विविध:**

5.1 **गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण: दोनों** पार्टियां इस बात पर सहमत हैं कि गोपनीय, मालिकाना जानकारी को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के बीच गैर-प्रकटीकरण/गोपनीयता समझौते के तहत डेटा और दस्तावेज़ साझा किए जाएंगे।

5.2 **संशोधन:** इस एम.ओ.यू. में तब तक बदलाव या संशोधन नहीं किया जाएगा जब तक कि दोनों पक्षों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इस तरह के बदलाव या संशोधन पर लिखित रूप में सहमति न हो।

5.3 **नोटिस:** इस एम.ओ.यू. के तहत शामिल मामलों के संबंध में पार्टियों को सभी नोटिस लिखित रूप में पार्टियों को शिमला में उनके अधिसूचित पते पर और उनके पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। सभी नोटिस और पत्राचार अंग्रेजी या द्विभाषीय होंगे।

उत्कृष्ट केंद्र राजकीय महाविद्यालय, संजौली, शिमला, हिमाचल प्रदेश के मामले में:

प्राप्तकर्ता: प्रधानाचार्य

दूरभाष: **0177-2640332**

ईमेल: principalsanjauli@gmail.com

एच.एफ.आर.आई. के मामले में

प्राप्तकर्ता: निदेशक

टेलीफोन: 0177-2626778

ई-मेल: dir_hfri@icfre.og

5.4 यहां पहले से मौजूद किसी भी बात के बावजूद, यदि इस एम.ओ.यू. के वास्तविक कामकाज में कोई कठिनाई/विवाद उत्पन्न होता है, तो प्रधानाचार्य, उत्कृष्ट केंद्र राजकीय महाविद्यालय, संजौली तथा निदेशक, एच.एफ.आर.आई .या उनके नामांकित व्यक्तियों का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

6. समझौते का निष्पादन

6.1 दोनों पार्टियां एक-दूसरे का प्रतिनिधित्व करती हैं और आश्वासन देती हैं कि उनकी ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को इस समझौते को निष्पादित करने और वितरित करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया है और समझौता, जब पूरी तरह से हस्ताक्षरित और वितरित किया जाता है, तो दोनों पक्षों यानी एच.एफ.आर.आई. तथा उत्कृष्ट केंद्र राजकीय महाविद्यालय, संजौली पर बाध्यकारी होता है। यह समझौता ज्ञापन तब तक वैध है जब तक दोनों पक्ष एक-दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए आपसी असहमति नहीं देते।

6.2 इस बात पर सहमति है कि इस एम.ओ.यू. की प्रगति की निगरानी प्रिंसिपल सीओई जीसी, संजौली और निदेशक, एचएफआरआई द्वारा समय-समय पर बैठकों के माध्यम से की जाएगी। समीक्षा समिति (प्रिंसिपल सीओई जीसी, संजौली और निदेशक, एचएफआरआई और ऐसे अन्य सदस्य जो उनके द्वारा पारस्परिक रूप से तय किए जा सकते हैं) द्वारा प्रस्तुत/सुझाव के अनुसार कोई भी परिवर्तन/संशोधन/समाप्ति दोनों संस्थानों को स्वीकार्य होगी।

6.3 इस समझौते की प्रत्येक प्रति को सील के तहत, कई प्रतियों में निष्पादित किया जा रहा है ।

6.4 यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि 6 जून, 2024 से प्रभावी होगा और अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगा। इस समझौता ज्ञापन की समाप्ति के बाद दोनों संस्थानों की आपसी सहमति पर इसे नवीनीकृत किया जाएगा।

इसके साक्ष्य में, दोनों पक्षों ने ऊपर लिखे पहले दिन, महीने और वर्ष को निम्नलिखित की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) को हस्ताक्षरित किया गया है।

स्थान: शिमला

निदेशक 06/06/2024
निदेशक
Director
भा.वा.अ.शि.प.- हि.व.अ.सं. शिमला (हि.प्र.)
ICFRE- HFRI, Shimla (H.P)

6/6/24
Principal प्रधानाचार्य
Govt. College Sanjauli
Shimla-6 DDO Code 222

गवाह:

1. डॉ. पवन कुमार
वैज्ञानिक-एफ
हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला

1. डॉ. मीनक्षी शर्मा
विभागाध्यक्ष – जीव विज्ञान
उत्कृष्ट केंद्र राजकीय महाविद्यालय
संजौली, शिमला

2. पीतांबर सिंह नेगी
वैज्ञानिक-डी
हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान, शिमला

2. प्रोफेसर दीप्ति गुप्ता
विभागाध्यक्ष – वनस्पति विज्ञान
उत्कृष्ट केंद्र राजकीय महाविद्यालय
संजौली, शिमला